

प्रेषक,

दीपक कुमार,

प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उ०प्र०।
2. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ०प्र०।
3. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत, उ०प्र०।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक 17 नवम्बर, 2020

विषय: प्रदेश के नगरीय स्थानीय निकायों में सम्पत्तियों के विषयगत यूनिक आईडी का निर्धारण एवं अंकन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भ में यह अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 (उ०प्र० अधिनियम 2 सन 1916), उ०प्र० नगर निगम 1959 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 2 सन 1959) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में अवस्थित सम्पत्तियों के विवरण सूची के अभिलेख / रिकार्ड को रखते हुए निर्दिष्ट नियमों एवं विहित प्रक्रिया के अनुसार समय-समय पर अद्यतन किया जाता है।

2. विभिन्न निकायों में सम्पत्ति की पहचान के लिये अपनायी जाने वाली प्रक्रिया में एकरूपता न होने के कारण सम्पत्ति के विवरण की जानकारी (Property Identification) जन सामान्य को सुलभ रूप से उपलब्ध नहीं हो पाती है। भारत सरकार द्वारा निर्गत बिजनेस रिफार्म्स के सुधारात्मक चरण में इस बिन्दु को रेखांकित करते हुए यह अपेक्षा की गयी है कि नगरीय क्षेत्र में अवस्थित सम्पत्तियों हेतु यूनीक प्रापर्टी पहचान (Unique Property ID) की व्यवस्था लागू किये जाने की कार्यवाही की जाये।

3. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त नगरीय स्थानीय निकायों में प्रत्येक सम्पत्ति हेतु 17 अंकों का एक यूनीक कोड निम्नवत् निर्धारित किया जाये:-

- | | |
|-------------------------------|--|
| (1) यूनीक कोड के प्रथम 2 अंक | - लोकल गवर्नमेंट डायरेक्ट्री (LGD (local government directory) के अनुसार प्रदेश का कोड। |
| (2) यूनीक कोड के अंक 3 से 5 | - स्थानीय निकाय कोड। |
| (3) यूनीक कोड के अंक 6 से 7 | - स्थानीय निकाय जोनल कोड |
| (4) यूनीक कोड के अंक 8 से 10 | - स्थानीय निकाय वार्ड का कोड |
| (5) यूनीक कोड के अंक 11 से 16 | - सम्पत्ति कोड |
| (6) यूनीक कोड के अंक 17 | - विशेष अक्षर - 'R' आवासीय सम्पत्ति के लिए,
'N' अनावासीय सम्पत्ति के लिए,
'M' मिश्रित सम्पत्ति के लिए, |

इस प्रकार प्रदेश के प्रत्येक निकाय के प्रत्येक सम्पत्ति के लिए 17 अंकों वाला एक यूनिक कोड निम्नवत् प्रदर्शित होगा:-

राज्य कोड (2 अंक)	निकाय कोड (3 अंक)	जोन कोड (2 अंक)	वार्ड कोड (3 अंक)	सम्पत्ति/भूखण्ड कोड (6 अंक)	विशेष अक्षर (1 अंक)	कुल कोड (17 अंक)

राज्य के अधिकांश निकायों में सम्पत्तियों की सूची का डिजिटाइजेशन/कम्प्यूटराइजेशन की कार्यवाही पूर्व से कर ली गयी है। अतएव उपरोक्त विद्यमान डिजिटाइज/कम्प्यूटराइज रिकार्ड में यूनिक आई डी आवंटन के विषयगत विभाग द्वारा बनायी गयी ई-नगर सेवा पोर्टल <http://e-nagarsewa.up.nic.in> पर वर्णित निर्देशों के अनुरूप निकाय तदनुसार यूनिक आईडी की व्यवस्था को तत्काल लागू करना सुनिश्चित करें। इस विषयगत प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा की जाये एवं उक्त प्रक्रिया के लागू किये जाने में किसी भी प्रकार की कठिनाई/सुझाव हेतु मुख्यालय पर मुख्य समन्वयक (आईटी), श्री मोहन ठाकुर मो0न0 9415028591, ई-मेल आईडी mt.egov18@gmail.com से सम्पर्क किया जा सकता है।

भवदीय,



(दीपक कुमार)

प्रमुख सचिव।

~

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त/राजस्व/ऊर्जा/न्याय/विधायी/स्टाम्प एवं पंजीयन/आवास एवं शहरी नियोजन/ग्राम्य विकास/पंचायती राज/सूचना/संस्थागत वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय उ0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि तदनुसार समस्त नगरीयों निकायों में उपरोक्त आदेशों के अनुपालन कराये जाने हेतु ऑनलाइन हैण्ड ऑन ट्रेनिंग समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार शर्मा)

विशेष सचिव।